भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3776
दिनांक 17.03.2020/27 फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए

संघ राज्य क्षेत्रों में निजी निकायों के अधिकारों का विस्तार

†3776. **श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकरः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने तथा इसके सुचारू रूप से काम करने के लिए उन संघ राज्यक्षेत्रों में जहाँ विधान मंडलों का गठन नहीं हुआ है, निजी निकायों/संस्थाओं के अधिकार का विस्तार करने के लिए सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या कितनी है जहाँ ऐसी प्रणाली काम कर रही है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष राज्यों में ऐसी प्रणाली कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : निजी निकायों/संस्थानों के अधिकारों और कर्तव्यों को कानून के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए निजी निकायों/संस्थानों के अधिकारों का विस्तार करने से संबंधित प्रस्तावों पर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में लंबित नहीं है।

****